

# प्रेस नोट

18.11.2020

लूट में संलिप्त एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमंचा मय दो अदद जिंदा कातरूस बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री धनन्जय सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोपांज पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.11.2020 को जरिये मुख्यबिर की सूचना पर थाना कोपांज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 549/20 धारा 392,427,411 भादवि० से सम्बन्धित एक अभियुक्त नूरमुहम्मद उर्फ गुल्लू उर्फ पप्पू उर्फ मस्तान पुत्र अलाउद्दीन उर्फ लोहा उर्फ वकील नट निवासी खरकापुर थाना लारपुर जनपद देवरिया हालमुकाम शाहित का मूर्गी फार्म शाहपुर थाना कोपांज मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त से जब कडाई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.10.2020 को शाहपुर में वादी राजेश यादव पुत्र फौजदार यादव के घर में रात्रि में लूट किया गया था तथा घर के सामने महताब का मूर्गी फार्म है उसमें भी चारी की गयी थी। जहा पर मोबाइल व आभूषण की चोरी किये थे तथा जाते जाते कैमरा जो मूर्गी फार्म में लगा हुआ था उसको की तोड़ दिये थे।

इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 608/20 धारा 3/25 भादवि० का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त—

1. नूरमुहम्मद उर्फ गुल्लू उर्फ पप्पू उर्फ मस्तान पुत्र अलाउद्दीन उर्फ लोहा उर्फ वकील नट निवासी खरकापुर थाना लारपुर जनपद देवरिया हालमुकाम शाहित का मूर्गी फार्म शाहपुर थाना कोपांज मऊ।

## बरामदगी—

- एक अदद तमंचा व दो जिंदा कारतूस 315 बोर।
- एक जोड़ी चोरी की पायल सफेद धातु।

## अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 17.11.2020 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान काझा तिराहे के पास से जरिये मुख्यबिर की सूचना पर गौरव उर्फ जितेन्द्र पासी पुत्र नखडू पासी निवासी टिसौरा थाना जहानांगज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 271/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त थाना रानीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/20 धारा 452,380,411 भादवि० में वांछित था।

## 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 18.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा राजस्थान भवन के पास से मु0अ0सं0 560/20 धारा 419,420,467,468,471,506

भादवि० में वांछित अभियुक्त जहागीर पुत्र स्व० हफिजुददीन निवासी पुराभीखम थाना कोतवाली, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा अतरसवा के पास से मु०अ०सं० 533/20 धारा 345ग,ध भादवि० व 67 आइटी एक्ट में वांछित अभियुक्त विजेन्द्र यादव उर्फ पिन्टू पुत्र गोवर्धन यादव निवासी अतरसवा थाना दोहरीघाट मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

#### शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार-

आज दिनांक 18.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा प्रेमचन्द्र भारती, पंकज भारती निवासी नगवा, बसन्त सिंह, विनोद निवासीगण पिन्डोहरी, अजय, सोनू निवासीगण छतरपुर, श्रवण, हीरा निवासीगण विसूनपुर पहदेवाजीत, रुधीर, सुभाष निवासीगण गहना थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भानू प्रताप, रोहित, संजय निवासीगण निजामुददीनपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा घूरा निवासी कटधराशंकर, राहुल निवासी जजौली, नवीन कुमार निवासी बनपोखरा, उत्कर्ष निवासी केशोपुर थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा संजय यादव निवासी ताहिरपुर, नारद, ओमप्रकाश निवासीगण रतनगोपालपुर थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा कूल्लू उर्फ अखिलश निवासीगण पिजड़ा थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।